नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी

राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प कोर्ट लाम्बियाकंला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 83/2017 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. बालुराम पिता प्यारा कुमावत निवासी कल्याणपुरा, लोटियास भीलवाडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... **प्रार्थी**

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0 ..... **विपक्षी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 07.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम लोटियास पटवार हल्का क्षैत्र लाम्बियाकंला तहसील बनेडा की खतौनी संख्या 17 के आराजी संख्या 602/1 रकबा 00–05 बीघा किस्म गे0मु0 आवासिय प्रार्थी के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। किन्तु नक्शे में रकबा 0–05 बिस्वा नही होकर 0–03 बिस्वा राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश नक्शे में गलत तरमीम कर दी गयी। उक्त खाते में विभाजन पश्चात आराजी संख्या 602/1 रकबा 0–07 बिस्वा दर्ज रेकार्ड थी। उक्त सर्म्पूण आराजीयात रकबा 0–07 बिस्वा में से आवासिय भू–रूपान्तरण प्रकिया में 0–02 बिस्वा रकबा रास्ते के रूप में समर्पण कर छोडने के पश्चात शेष रकबा 0–05 बिस्वा रकबा गे0मु0 आवासीय राजस्व जमाबन्दी में दर्ज रेकार्ड है। किन्तु आराजी संख्या 602/1 का रकबा 0–03 बिस्वा राजस्व नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गयी है। उक्त लिपिकीय त्रुटी आजदिनांक तक अनव्रत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

अतः ग्राम लोटियास पटवार क्षैत्र लाम्बियाकंला तहसील बनेडा के आराजी संख्या 602/1 रकबा 0–05 बिस्वा को नक्शे में पटवारी द्वारा प्रस्तावित तरमीम ट्रेस को राजस्व नक्शे में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 26.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत के केम्प लाम्बियाकंला के लिए पंजिबद्ध किया गया तथा विपक्षी राज्य पक्ष नायब तहसीलदार रायला ने प्राथीगण के प्रार्थना के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ती होना जाहीर नही करते हुए अपनी और से ईकबालिया जवाब मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी पर अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थीगण का प्रा.पत्र सहमति से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए न्याय हित में स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.